

क्रियात्मक आदेश

अतः बाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं.10 सीडीआर के खाता संख्या 199/179 जमाबन्दी संख्या 1 के कुल 1.860 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि एवं चक नं.3 एफटीपी के खाता संख्या 82/37 जमाबन्दी संख्या 2071-2074 में कुल 0.443 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी सुभाषचन्द्र का नाम उक्त दोनों खातों से कलमजन कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिब अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक लोने होने पर रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.6.2017 को कैम्प कोर्ट कुलचन्द्र में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदसिंह रतन)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर एवं
 पटन सहायक कलेक्टर
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी